FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प सम्बाड़िया

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

रामेश्वर राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–108/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.10.2021	प्रार्थी रामेश्वर पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सम्बाड़िया तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प सम्बाड़िया में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सम्बाड़िया तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 100 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता मोहनराम पुत्र धुलाराम की थी। मोहनराम का देहान्त हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम रामेश्वर के बजाय कानाराम लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामेश्वर है तथा सरकारी दस्तावेज भी रामेश्वर के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी भूमि में कानाराम पुत्र मोहनराम के स्थान पर रामेश्वर पुत्र मोहनराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी रामेश्वर ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। तथा अपने गवाह नैनाराम पुत्र धुलाराम के बयान कलमबद्ध कराये गये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी के आधारकार्ड, जमाबंदी, जन आधार कार्ड तथा दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पचायत सम्बाड़िया द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादो ने **मजमा** आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में कानाराम गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम रामेश्वर के बजाय कानाराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम सम्बाड़िया तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा की संयुक्त खातेदारी भूमि में कानाराम पुत्र मोहनराम के स्थान पर रामेश्वर पुत्र मोहनराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में [illegible] निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुम[illegible]खिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के [illegible] में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bhawani Singh Date: 2022.02.25 15:57:54 IST Reason: SelfAttested उप[illegible]ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प सम्बाड़िया

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
रामेश्वर पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सम्बाड़िया तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 108/2021

निर्णय **दिनांक** :— 23.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम सम्बाड़िया तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा की संयुक्त खातेदारी भूमि में कानाराम पुत्र मोहनराम के स्थान पर रामेश्वर पुत्र मोहनराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.10.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:37:54 IST
Reason: SelfAttested